न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 80 / 2013

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. भलाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी टिपरी तहसील बाली जिला पाली		1. नर्बदा पुत्री मगनदास जाति साद निवासी तथाकथित गांव टिपरी तहसील बाली
2. रमेश कुमार पुत्र भुराराम जाति सरगरा निवासी टिपरी तहसील बाली जिला पाली		2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.8.18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पारित आवंटन आदेश दिनांक 15.07.1971 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम टिपरी के खसरा नम्बर 26 एवं 28 का आवंटन अपीलाण्ट के पिता के पक्ष में किया गया तथा जिस भूमि का आवंटन किया गया, उसी भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया गया, जिस पर वक्त आवंटन से आज दिनांक तक अपीलाण्ट के पिता एवं उनके पश्चात अपीलाण्ट काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न तो भू–आवंटन कमेटी के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र अपने अंगुष्ठ निशान से प्रस्तुत किया तथा न ही आवंटन बाबत कोई कार्यवाही की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता अस्थाई रूप से मन्दिर की पूजा अर्चना हेतु गांव में रहते थे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा हल्का पटवारी से मिलावट करतें हुए जैर अपील आवंटन आदेश पारित करवाया है। जिस भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है, उस पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। इस कारण उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। आवंटन उसी भूमि का किया जा सकता है, जो आधिपत्य विहिन हो। भू–आवंटन के सम्बन्ध में न तो उद्घोषणा जारी की गई तथा न ही कोई विधिवत

प्रंक्रिया अपनाई गई। भू आवंटन करने वक्त आवंटन समिति अपने आप में अपूर्ण थी, क्योंकि न्यूनतम 3 सदस्य होने आवश्यक थे, किन्तु हस्तगत आवंटन दो सदस्यों की सहमति के आधार पर किया गया। इस कारण कोरम पूर्ण नहीं होने के कारण भी यह आवंटन विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भी खसरा नम्बर 26 व 28 में ही भूमि का आवंटन किया जाना अंकित किया है, किन्तु इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सहायक कलक्टर बाली के समक्ष अपीलाण्ट के तत्कालीन काश्तकार के विरूद्ध कब्जा प्राप्ति व खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया, तब अपीलाण्ट को उक्त आवंटन की जानकारी प्राप्त हुई। जैर अपील वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं होकर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है, इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार बाली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट से होती है, जिसमें उन्होने जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट काबिज काश्त होना जाहिर किया है। अपीलाण्ट के पिता को जो भूमि आवंटन हुई है, वह खसरा नम्बर 26 में हुई है, जिसके नये खसरा नम्बर 109 व 110 बने है तथा वक्त आवंटन से अपीलाण्ट इसी भूमि पर काबिज काश्त हैं। जैर अपील वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का किसी भी रूप में कब्जा काश्त नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नामान्तरकरण दायर किया, किन्तु भू0अ0निरीक्षक द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होने बाबत नोट अंकित किया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान किया गया, जिसका नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आवंटन किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आवंटन अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा आवंटन के 42 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है। इस भूमि के सम्बन्ध में नर्बदा एवं वक्ताराम के बीच में वाद चला था, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा दिनांक 21.11.2005 को खारिज किया गया। इस कारण अपीलाण्ट को जैर अपील आवंटन की बखूबी जानकारी थी। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतया मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। जैर अपील वादस्थ भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किया गया है तथा आवंटन शर्तो की पालना करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। जहां तक प्रश्न कोरम में दो सदस्य होने का है, तो कोरम में न्यूनतम तीन सदस्यों की अनिवार्यता के सम्बन्ध में अधिसूचना वर्ष 1976 में आई थी, इस पर न्यूनतम तीन सदस्यों की अनिवार्यता वर्ष 1976 से प्रभावी हुई, इससे पूर्व दो सदस्यों की अनिवार्यता थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वर्ष 1971 में आवंटन हुआ है, इस कारण वर्ष 1976 में जारी अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकरण में हुए आवंटन को किसी भी रूप में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रभावित नहीं करती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान करने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान किया गया तथा सिलसिलेवार हुए विक्रय के पश्चात क्रेता वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार बतौर खातेदार काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खातेदारी दर्ज कराने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 30.06.1984 को आदेश पारित कर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। अपीलाण्ट ने उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी है। इस कारण अपीलाण्ट हस्तगत अपील के जरिये कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान खातेदार को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया है, इस कारण भी अपील खारिज़ योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे तथा उसके पश्चात उन्होने उक्त भूमि का विक्रय किया है। एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधानों के अतिरिक्त खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते है। अतः इन समस्त कारणों से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज़ की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 2008 पेज 644, आर0आर0टी0 2011 (1)पेज 421, ए0आई0आर0 1998 पेज 2276, ए0आई0आर0 2005 पेज 3460, आर0आर0डी0 1999 पेज 152, आर0आर0डी0 2001 पेज 35, आर0आर0डी0 1989 पेज 259, आर0बी0जे0 2007 पेज 438, आर0आर0डी0 1994 पेज 26, आर0आर0डी0 1993 पेज 44, आर0आर0डी0 1993 पेज 232, ए0आई0आर0 2003 पेज़ 1989 तथा आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 374 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथमतः मियाद का बिन्दु को निर्णीत करना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं उक्त प्रार्थना पत्र में जैर अपील आवंटन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 20.11.2013 को होना जाहिर किया तथा उसके पश्चात दिनांक 21.11.2013 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की। जैर अपील आवंटन 15.07.1971 को हुआ है। रेस्पोडेन्ट का कथन रहा है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं वक्ताराम के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर में वाद विचाराधीन था, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 22.11.2005 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज़ किया। उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2005 का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा राजस्व वाद संख्या 119/2005 नरबदा बनाम वगताराम व अन्य में उक्त भूमि अपने पिता को आवंटन होने का तथ्य अंकित करते हुए स्वयं को पक्षकार बनाने का निवेदन किया, जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर, बाली द्वारा दिनांक 22.11.2005 को आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

में हुए आवंटन को रेखांकित किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि अपीलाण्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में हुए आवंटन का समुचित ज्ञान दिनांक 22.11.2005 को हो चुका था। इस तथ्य को अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय से छुपाते हुए बनावटी तथ्यों के आधार पर जैर अपील आवंटन आदेश की जानकारी स्वयं को दिनांक 20.11.2013 को होने का कथन किया गया है, जो पूर्णतः निराधारत एवं मनगढन्त है, जिसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किए है, उनका सार बिन्दु यही है कि न्यायालय के समक्ष परिसीमा काल को क्षमा करने हेतु यथोचित एवं तथ्याधारित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही परिसीमा को क्षमा किया जा सकता है। इसी प्रकार RRD May, 2007 page 311 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, Section 5-C.P.C., Section 100-Delay in filing secong appeal-Judgment passed by first appellate court on 16.08.2003-Appeal filed by appellant on 19.12.2003 claiming knowledge of judgment on 07.12.2003 No explanation given for not filing appeal immediately-Held, appellant was taking the matter leisurely and at his own convenience-Delay, not condoned. DNJ (Raj.) 1999 page 134 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec-5 Condonation of delay-Delay of 83 days in filing appeal- Objection that appellant was not duly represented in trial Court in unfounded- Sufficient cause for condonation of delay not shown- File requires to be routed from so many channels is no sufficient cause-Held Appeal is time barred & dismissed. DNJ(Raj.) 1999 page 319 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act 1963 Sec. 5- Motor Vehicle Act, 1988-Sec. 173- Delay of 47 Days in filing appeal-Delay not properly explained- officer of Regional Office did not care to take prompt action in the matter of filling appeal-Complex procedure for routing of the file through many officers is not a sufficient cause to defeat the purpose-Held, Delay is fatal & alppeal dismissed as time barred. इसी प्रकार RLW-pg56 21.12.2013 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act,1963, Sec. 5- Application for condonation of delay in filing intra court appeal- Appeal filed after 9 years, 11 months and 14 days of the expiry of period of limitation- Alleged mistake of the Advocate Held- Delay has not been properly explained- No sufficient cause for condonation of delay- Application dismisses. इसी प्रकार RRT 127 page 117 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963 Sec. 5 Code of civil Procedure, 1908-Sec.100-Condonation of delay-Delay of 2344 days in filing appeal-In action or indolence on the part of the litigant- Liberal approach cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay-Held, Application &appeal are liable to be dismissed. इसी प्रकार RJt 2015(2) page 1273 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-sec. 5-Code of Civil Procedure, 1908- Order 47, Rule 1- Condonation of delay-Delay of 2327 days in filing review petition-Writ petiton decided on 24.04.2007 in presence of the counsel-When the petitioner enquired about the status of the writ non explained condonation of delay is not entertainble&dismissed. इसी प्रकार RJT 2015(1) page 342 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963-Sec. 5-0 code of Civil Procedure, 1908-Sec. 96- Delay of more than three years in filing appeal-Notice of execution of decree served upon the petitioner on 06.01.2012& submitted the reply on 17.04.2012 False averment made in the application that the fact of passing of decree come into

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

knowledge on 17.09.2013-Held, Court below has not committed any illegality or material irregularity in rejection the application. आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 814 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "When a person signs a document, there is a presumption, unless there is proof of force or fraud, that he has read the document properly and understood it and only then he has affixed his signatures thereon, otherwise no signature on a document can ever be accepted ' जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2010 को पारित की गई है तथा निर्णय पारित होने के सात वर्ष पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 'भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है।" उपरोक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 20.11.2013 को ही हुई हो तथा न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2005 की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हो। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना किसी भी रूप में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपील परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य नही है। इसके अतिरिक्त यदि गुणावगुण पर भी देखा जाए तो जैर अपील आवंटन आदेश दिनांक 05.07.1971 को पारित किया गया है तथा हस्तगत अपील वर्ष 2013 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार आवंटन आदेश पारित होने के 43 वर्ष पश्चात् अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के जरिये आवंटन आदेश को चुनौती दी गई है। इसी प्रकार अपीलाण्ट का यह भी उज्र रहा है कि वक्त आवंटन उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के पिता का कब्जा काश्त था। इस कारण जैर अपील वादस्थ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। इस कारण भी हस्तगत आवंटन विधि सम्मन नहीं है। हालांकि अपीलाण्ट ने उक्त भूमि पर वक्त आवंटन अपना कब्जा होना जाहिर किया है, किन्तु इन तथ्यों के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये, जिससे यह साबित हो सके कि जिस भूमि का आवंटन आसिया को किया गया, उसी भूमि पर आवंटन से पूर्व एवं पश्चात प्रार्थी एवं उनके पूर्वजों का कब्जा रहा हो। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत अनाधिकृत राजकीय भूमि को आवंटन करने के प्रावधान है। आर0आर0डी0 1987 पेज 54 में माननीय मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि को लेकर प्रार्थी अथवा उसके पूर्वजों द्वारा आवंटन/नियमन हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, ऐसे तथ्य भी रेकर्ड पर नही है तथा न ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। वर्ष 1971 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया जा चुका था एवं कब्जा भी सुपुर्द किये जाने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में बतौर गेर खातेदार इन्द्राज किया गया तथा आवंटन नियमों की पालना करने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात सिलसिलेवार अन्तरित होकर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में क्रेता के नाम बतौर खातेदार दर्ज की गई। आर0आर0डी0 1986 पेज 137 में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने पर आवंटी को वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उसे प्रदत्त किये गये है, जिसमें एक अधिकार यह भी है कि किसी भी खातेदार कृषक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी रूप में बेदखल नही किया जा सकेगा। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0डी0 1993 पेज 335 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम केसराराम व अन्य तथा आर0आर0डी0 1990 पेज 466 गोवर्धनसिंह बनाम गुलाबचन्द में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस पर चस्पा नही होते है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में यह कहीं भी सिद्ध नही हुआ है कि आवंटी आसिया के पास वक्त आवंटन अन्य भूमि उपलब्ध हो, जिसे छुपाकर आवंटन करवाया गया हो अथवा आवंटी आवंटन की पात्रता नही रखता हो। इन तथ्यों को अपीलाण्ट द्वारा भी रेखांकित नही किया है।

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08.1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

"The khatedari rights conferred upen the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rult 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners eith respect to the land in which the khatedari right have already ben conferred upon them because after theconferment of the Khatedari right, the applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules,1970 can be exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights.the petitioners acwuired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions og Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no application." आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भी आवंटन के लगभग 43 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि पश्चात आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है एवं उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी हस्तगत अपील गुणावगुण के आधार पर भी पोषणीय नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है। जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 24.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली